न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर (शहर)

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दु खत्री आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या:– 33/2011

आर.सी.एम.एस. नं.:–2011/00103

1. रेवन्ति
2. सायरा

} पुत्रिया परमाराम अकवाम ओड बेलदार निवासीगण ग्राम चकगर्वी तहसील व जिला बीकानेर।

---वादीगण---

–बनाम–

1. बाबूलाल
2. प्रतापराम
3. गोगी
4. ऊदी
5. चुकली
6. देवली
7. नारायणकी
8. प्रतिभा
9. मदनमोहन

} पिसरान परमाराम अकवाम ओड बेलदार निवासीगण ग्राम चकगर्वी तहसील व जिला बीकानेर।

पत्नि घनश्याम
पुत्र किशनलाल
} अकवाम करनाणी निवासीगण रींथल हाल निवासी 121 हरदत चमरिया रोड नियर हावडा ए.सी मार्केट पांचवा तल्ला हावडा, पश्चिम बंगाल।

10. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार बीकानेर।

---प्रतिवादीगण---

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92(ए) आर टी एक्ट 1955

अभिभाषक उपस्थिति:–

1. श्री लक्ष्मीकान्त रंगा, अभिभाषक वादीगण की ओर से ।
2. श्री जयचन्दलाल सारस्त, अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से ।
3. श्री बृजमोहन पुरोहित, अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 की ओर से ।
4. श्री नन्दकिशोर राठी, अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से ।
5. प्रतिवादी संख्या 9 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही ।

–:निर्णय:– दिनांक:– 3/9/19

दावा का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है कि जैर दावा खसरा नं. 1479/1361/159 तादादी 25 बीघा, जिसके उपनिवेशन खसरा नं. 581 तादादी 21.1 बीघा ग्राम चकगर्वी तहसील बीकानेर बने। उक्त भूमि [illegible] 2010 से पूर्व की श्री परमाराम पुत्र मैसाराम की रही है उक्त स्वर्गीय [illegible] आपरेशन ऑफ ला आराजी जैरदावा के खातेदार काश्तकार हुए।

परमाराम का स्वर्गवास दिनांक [illegible] हुआ है। इस कारण परमाराम के स्वर्गवास उपरान्त परमाराम के [illegible] वादीगण व प्रतिवादीगण 1 प्रत्येक 1/9 हिस्सा बराबर आराजी जैर दावा [illegible] सह–खातेदार काश्तकार [illegible] वादीनीगण आरजी जैर दावा में अपने हिस्से खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की मुश्त हक है।

प्रतिवादी सं. 1 द्वारा भातहत अमले से साज कर तमाम आराजी जैर दावा जरिये नामान्तरकरण सं. 93 दिनाक 20.12.1993 अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली। जो नामान्तरकरण सं. 93 दिनांक 20.12.1993 में उक्त के खाता नं. 14, 16 में वर्णित आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.22 11:49:28 IST
Reason: SelfAttested

जात एवं उक्त पर आधारित तमाम राजस्व इन्द्रजात वादीगण के अधिकारो पर बेअसर है प्रभाव शून्य है। तमाम आदेशात ab initio void है। इस कारण कानून में कोई महता नही रखते है वादनीगण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने को मुश्तहक है।

प्रतिवादी सं. 1 ने अपने अकेले के नाम से उक्त गलत नामान्तरण दर्ज करवाकर नामान्तरण के आधार पर बने राजस्व रिकार्ड की आड में तमाम आराजी जैर दावा प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 को कागजी तौर पर विक्रय कर दी। जो बैयनामा पर आधारित नामान्तरकरण सं. 138 दिनांक 11.03.1997 एवं उसके पश्चात्वर्ती प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 के नाम राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज वादीनीगण के अधिकारो पर बेअसर है, प्रभाव शुन्य है। वादीगण आराजी जैर दावा में अपने हिस्से की बावत अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाने एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरस्ती करवाने का मुश्त हक है।

जैर दावा का परमाराम के तमाम वारिसान का सयुंक्त रूप से मौके पर कब्जा चला रहा है तमाम खातेदारन (वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 7) अपने अपने हिस्सा अनुसार आराजी जैर दावा अलग अलग काश्त करते है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी सं. 8 व 9 को अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का बिना कब्जा बिना अधिकार कागजी तौर पर किया गया बेचान कानूनन कोई महता नहीं रखता है, प्रभाव शुन्य है। वादीनीगण आराजी जैरदावा पर भौतिक रूप से काविज है जो कब्जा उन्हे स्व. परमाराम के विरासतन प्राप्त हुआ है प्रतिवादी सं. 8 व9 सहित किसी भी दिगर शख्स द्वारा वादीनीगण को वेदखल करने का प्रयास किये जाने, बेदखल करने की धमकी दिये जाने पर उनके खिलाफ चिर निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने की वादनीगण मुश्त हक है।

दिनांक 11.09.2009 को प्रतिवादी सं. 8 व 9 द्वारा वादीनीगण को मौके कब्जा से वेदखल करने की धमकी दी गयी । तब वादनीगण ने प्रतिवादी सं. 8 व 9 के नाम स्वीकृत इन्तकाल सं. 138 विरूद्व अपील सक्षम न्यायालय में पेश की, जो अपील आज दिनांक तक जैरकार है । इसी दौरान दिनांक 04.10.2009 को सायंकाल फिर धमकी दी गई की राजस्व रिकार्ड के गलत अंकन का वेजा फायदा उठाते हुए जैरदावा किसी ताकतवर व्यक्ति को विक्रय कर दी जावेगी जो ताकत के बलपर वादीनीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा कर लेगा इसलिये वादीनीगण को यह आवश्यक हो गया कि वह न्यायालय हाजा के समक्ष दावा पेश कर अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवावे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करे। वादीनीगण को बेदखल कर दिये जाने की धमकी देने एवं आराजी जैरदावा दिगर ताकतवर व्यक्तियों को बैय कर दिये जाने की धमकी देने पर वादीनीगण को वाद कारण हासिल हुआ।

स्टेट ऑफ राजस्थान दावा हाजा में आवश्यक औपचारिक पक्षकार मात्र है, जिसके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है ।

अतः डिक्री घोषणात्मक वहक वादीनीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सं. 8 व 9 इस आशय की जारी फरमायी जावे कि आराजी जैर दावा खेत खसरा नं. 1479/1316/159 तादादी 25 बीघा जिसके उपनिवेशन खसरा नं. 581 तादादी 21.1 बीघा ग्राम चकगर्बी तहसील बीकानेर के खातेदार स्व. परमाराम के विरासतन वादीनीगण का 2/9 हिस्सा है जिसकी वादीनीगण खातेदार काश्तकार है। इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व घोषित किया जावे कि प्रतिवादी सं. 1 अकेले के नाम परमाराम की तमाम आराजी जैरदावा का अंकन नामान्तरकरण सं. 93 दिनांक 20.12.1993 मय सम्बधित आदेशात्, उक्त पर आधारित राजस्व इन्द्राजात, प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादी गण 8, 9 को विक्रय, प्रतिवादीगण सं. 8, 9 के नाम दर्ज नामान्तरण सं. 138 दिनांक 11.03.1993 एवं उक्त पर आधारित राजस्व इन्द्राजात शून्य है, वादीनीगण के अधिकारो पर बेअसर है।

डिक्री चिरनिषेधाज्ञा वहक वादीनीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सं 8 व 9 इस अमर की जारी की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण आराजी जैरदावा खेत खसरा नं. 1479/1316/159 तादादी 25 बीघा जिसके उपनिवेशन खसरा नं. 581 तादादी 21.1 बीघा ग्राम चकगर्बी तहसील बीकानेर में वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी नही करें न वादीनी को जबरन बेदखल करे, न कब्जा व न ही आराजी जैर दावा किसी दिगर शख्स को रहन बैय या अन्य प्रकार के मुन्तकिल करे, न ऐसा कोई फैल या तर्क करे जिससे वादीनीगण के अधिकारो पर बुरा असर पडे।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये समन से तलब किया गया व प्रतिवादी सं 8 व 9 को जरिये रजि. समन से तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.22 11:49:28 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 27.7.2010 को प्रतिवादीगण 1 ता 9 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाकर शहादत वादीनीगण मे रखी गयी। वादी सं. 1 द्वारा दिनांक 18.10.2011 को शपथ पत्र पेश किया गया व दस्तावेज पर प्रदर्श अंकित करवाये गये व वादीनी सं. 2 द्वारा दिनांक 02.11.2011 को शपथ पत्र पेश किया गया । पत्रावली जिरह मे रखी गयी। दिनांक 29. 12.2011 को पैरोकारराज द्वारा वाद पत्र प्राइवेट पक्षकारान का होने के कारण जिरह नहीं की गयी । पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस में रखी गई, दिनांक 15.02.2012 को प्रतिवादी सं. 3 ता 7 की तरफ से श्री धिरेन्द्र सिंह भदौरिया एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया व प्रा. पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण का 5/9 हिस्सा निहित होने के कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के हिस्से की घोषणा की जावे व एकतरफा कार्यवाही निरस्त की जावे। जिसपर वकील वादीगण द्वारा आपति नही करने पर प्रतिवादी सं. 3 ता 7 की हद तक **Ex. Parte** आदेश **set aside** किये गये। दिनांक 06.03.2012 को प्रतिवादी सं. 8 की तरफ से श्री सत्यनारायण तिवाडी एड. द्वारा वकालतनामा व प्रार्थना पत्र **Ex. Parte** आदेश को निरस्त करने का पेश किया गया वकील वादीनीगण द्वारा प्रा. पत्र पर आपति जाहिर नही करने पर **Ex. Parte order** दिनांक 21.07.2010 को प्रतिवादी सं 8 की हद तक set aside किया गया व जवाब पेश करने का अवसर दिया गया। दिनांक 29.03.2012 को वकील प्रतिवादी सं. 8 द्वारा प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.आर.पी.सी का पेश किया गया । दिनांक 11.09.2014 को वादीनीगण की तरफ से श्री लक्ष्मीकान्त रंगा एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया गया व दिनांक 30.09.2014 को प्रतिवादी सं. 8 की तरफ से श्री नन्दकिशोर राठी एड. द्वारा वकालतनामा पेश किया गया व दिनांक 22.04.2015 को प्रा. पत्र आदेश 7 नियम 11 विड्रा कर लिया गया। दिनांक 21. 05.2015 को वकील वादी द्वारा पक्षकारान के बीच हुये राजीनामा पेश किया गया । दिनांक 05.08.2015 को प्रतिवादी सं. 9 के उपस्थित नहीं होने के कारण राजीनामा का निस्तारण नही किया गया। दिनांक 28.06.2019 को वादीनीगण द्वारा साक्ष्य पेश किये गये। दिनांक 04.07.2019 को वादीगण द्वारा लिखित बहस पेश की गयी। बहस के क्रम मे कोई एतराज नहीं किया गया। वकील वादी द्वारा अपनी लिखित बहस मे कथन किया कि वादीगण ने एक घोषाणात्मक एवं चिर निषेधाज्ञा व करने रिकार्ड दुरस्ती का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 व 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया और माननीय न्यायालय से इश्त हुआ की गयी की वादीगण 1, 2 तथा प्रतिवादीगण 1 ता 7 की विरासतन कृषि भूमि वाके ग्राम चकगर्बी के राजस्व खसरा नं. 1479/615/159 तादादी 25 बीघा पुख्ता, जिसका कालान्तर में उपनिवेशन खसरा नं. 581 कायम किये गये। उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मूल रूप से वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 7 के पिता परमाराम के नाम सम्वत 2010 से पूर्व ही बतौर काश्तकार के तमाम रिकार्ड मे दर्ज रही है तथा परमाराम के उपरोक्त वर्णित भूमि पर बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त रहा है। परमाराम का दिनांक 03.06.1982 को निर्वसीयत स्वर्गवास हो गया तथा उनके स्वर्गवास के बाद भी वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 का निरन्तर कब्जा काश्त रहा है। परमाराम के निर्वसीयत स्वर्गवास हो जाने के बाद राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत् उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि बहिस्सा बराबर बराबर सयुंक्त व अविभाजित वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 7 के नाम बतौर विरासतन खातेदारी दर्ज होनी थी । लेकिन प्रतिवादी सं. 1 जो कि वादीगण का सगा भाई है दुर्भावनापूर्ण आशय से उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि को बाला–बाला पर[illegible] बिना अकेले अपने नाम से 20.12.1993 को विरासतन नामान्तण सं. [illegible]वा लिया, जबकि वास्तव मे परमाराम के प्रत्येक वारिसान [illegible] अविभाजित विरासतन नामान्तरण दर्ज होना था। लेकिन प्रतिवादी सं. 1 उ[illegible] वर्णित कृषि भूमि को प्रतिवादी सं. 8 व 9 को दिनांक 11.03.1997 को विक्रय कर दिया है। जिसका नामान्तरण सं. 138 है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जो विक्रय विलेख दिनांक [illegible].03.1997 को तहरीर व तकमील किया गया । तत्कालिक राजस्व अधिकारियों एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण सं. 3 ता 7 के नाम से नामान्तरण दर्ज नहीं होने के कारण घोषणात्मक वाद खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है और वादीगण प्रतिवादीगण 8, 9 के हक मे निस्पादित विक्रय विलेख को अपने अधिकारों तक शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.22 11:49:28 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण के वकील द्वारा लिखित बहस के क्रम मे कोई एतराज नही किया गया।

हमने वाद व वाद पत्र के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया व वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया ।

वादीनी द्वारा वाद पत्र में कहा गया कि वादगत कृषि भूमि स्व. परमाराम पुत्र भैसाराम सम्वत 2010 से पूर्व की रही है । इस सम्बध मे वाद पत्र में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित होता है, कि वादगत भूमि खेत खसरा नं. 1479/1316/159 तादादी 25 बीघा जिसके उपनिवेशन खसरा नं. 581 तादादी 21.1 बीघा ग्राम चकगर्बी तहसील बीकानेर की वादीनीगण के पिता परमाराम के नाम से रही है।

वादीगण द्वारा वादगत भूमि की जमाबन्दी सम्वत 2045 (प्रदर्श–1), नामा. सं. 93 (प्रदर्श–3), नामा. संख्या 138 (प्रदर्श–4), नक्शा (प्रदर्श–5), गिरदावरी सम्वत 2053 से 2056 (प्रदर्श–6), 2041 से 2044 (प्रदर्श–7), 2029 से 2032 (प्रदर्श–8) नामा. संख्या 556 व जमाबन्दी सम्वत 2045 (प्रदर्श–11) की प्रमाणित प्रतियां एवं फोटोप्रतियां पेश की गई। वादीनीगण द्वारा अपने वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में अपने पिता की कृषि भूमि सम्वत 2010 से पूर्व से चली आ रही है, का उल्लेख किया है । लेकिन इस सन्दर्भ में कोई राजस्व रिकॉर्ड पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि वादीनीगण के पिता की अविभाजित कृषि भूमि सम्वत 2010 से पूर्व से चली आ रही हो।

गिरदावरी सम्वत 2029 से 2032 (प्रदर्श–8) के खाता संख्या 581 में वादीनीगण के पिता का नाम आवंटी सम्वत 2026 से 2028 का अंकन किया हुआ है व उक्त पेश की गई गिरदावरी सम्वत 2029 से 2032 (प्रदर्श–8), 2041 से 2044 (प्रदर्श–7), 2053 से 2056 (प्रदर्श–6) में वादीनीगण के पिता व माता के नाम से अंकित है ।

वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण सं. 93 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज हुई व प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को कुल खातेदारी कृषि भूमि को बेचने पर नामा. संख्या 138 से प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के नाम से दर्ज की गयी । लेकिन वादीनीगण द्वारा प्रस्तुत नामा. संख्या 556 में वादी संख्या 1 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के नाम से विरासतन नामांतरण दिनांक 11.07.2008 को दर्ज हुआ व जमाबन्दी सम्वत 2045 (प्रदर्श–11) में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का नाम बतौर विरासतन व खातेदार दर्ज कर लाल स्याही से नोट का अंकन किया हुआ है व नामा. संख्या 556 को तहसीलदार द्वारा निरस्त करने का नोट भी लगा हुआ है। नामा. संख्या 556 तहसीलदार द्वारा किस कारण से खारिज किया गया, ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही वादीनीगण ने अपने वादपत्र में उल्लेख किया है कि उसने प्रतिवादी सं. 8 व 9 के नाम स्वीकृत इन्तकाल सं. 138 विरूद्व अपील सक्षम न्यायालय में पेश की हुई थी। जिसके सम्बंध में भी वादीनीगण द्वारा किसी भी प्रकार का साक्ष्य हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया हैं।

वादीनीगण द्वारा न्यायालय में वाद दिनांक 14.10.2009 को प्रस्तुत किया गया था, उस समय वादीनीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का नाम बतौर विरासतन खातेदार दर्ज होने के कारण वादीनीगण का वाद संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। जहाँ तक विवादित नामा. संख्या 556 का प्रश्न है, तो उसके लिए वादीनीगण सक्षम न्यायालय में चारा जोही करें ।

आदेश आज दिनांक 3/9/19 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2021.01.22 11:49:28 IST
Reason: SelfAttested

(बिन्दु खत्री)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
बीकानेर (शहर)